

25 नवंबर 2021 को संसद भवन के कार्यक्रम में माननीय लोकसभा अध्यक्ष का सम्बोधन

1. संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर मैं संसद भवन के ऐतिहासिक सेंट्रल हाल में विदेश से आए युवा सांसदों और आप सभी लॉ स्टूडेंट्स और उनके प्रोफेसर्स और उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ। आप सभी विभिन्न पृष्ठभूमि से हैं। आपमें से कुछ युवा सांसद हैं, कलाकार हैं, पत्रकार हैं, प्रशासक हैं तथा आपमें से कुछ उद्यमी भी हैं।

2. आप अभी संसद भवन के जिस केन्द्रीय कक्ष में बैठे हैं, उसी कक्ष में हमारे मनीषियों ने लगभग 3 वर्ष के गहन विचार-मंथन तथा दुनिया के अनेक देशों के संविधान का अध्ययन किया था और भारतीय संविधान के रूप में हमें एक ऐसा दस्तावेज दिया जिसने पिछले सात दशकों में हमारे देश की सामाजिक-आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। यहाँ बैठकर आप उन गौरवशाली लोकतांत्रिक परम्पराओं और संवैधानिक मूल्यों का अनुभव करेंगे जिनकी वजह से भारत को 'मदर आफ डेमोक्रेसी' कहा जाता है। यह आपके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगा।

साथियों,

3. देश की आजादी के बाद हमारे मनीषियों ने देश को हमारे संविधान के माध्यम से ऐसी लोकतांत्रिक प्रणाली दी जिसमें सभी को समानता का अधिकार हो।

दोस्तों,

4. लोकतांत्रिक पद्धति में शासन के तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। विधायिका देश और प्रदेश की जनता के व्यापक कल्याण के लिए, उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए व्यापक चर्चा संवाद करती है और कानून बनाती है। कार्यपालिका इन कानूनों एवं नियमों को execute करने का काम करती है। जबकि न्यायपालिका का काम है उन कानूनों की व्याख्या करना तथा नागरिकों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करना।

5. हमारे संविधान निर्माताओं का vision था कि शासन के सभी अंग अपनी-अपनी सीमाओं के अंदर रहकर देश और प्रदेश की जनता के सामाजिक-आर्थिक विकास एवं नागरिकों की समृद्धि के लिए परस्पर समन्वय से कार्य करेंगे और नागरिकों का अधिकतम कल्याण करेंगे।

मेरे युवा साथियों,

6. देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि युवाओं की, विशेष रूप से विद्यार्थियों की विधायिका के कार्यों में व्यापक भागीदारी हो ताकि बेहतर और जनकल्याणकारी कानून बन सकें।

7. आज हमारा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हमें यह भी संकल्प करना है कि आज से 25 वर्ष बाद जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तो हमारा देश सामाजिक-आर्थिक रूप से विकसित हो और दुनिया के अंदर भारत सर्वश्रेष्ठ हो, हम इस सपने को पूरा कर सकें। हमें यह मंथन करना है कि इसमें हमारी क्या भूमिका हो?

8. मैं जब भी विदेशी दौरो पर जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ हमारे युवा नेतृत्व (leadership) की भूमिका में हैं। आईटी हो या मेडिकल का क्षेत्र हो या अन्य प्रोफेशनल्स कोई भी क्षेत्र हो, भारत के युवाओं ने अपनी प्रतिभा, परिश्रम और समर्पण से एक विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है। वे जिन देशों में काम कर रहे हैं, उनकी प्रगति में तो योगदान कर ही रहे हैं, अपनी योग्यता और कौशल से भारत के यश में भी वृद्धि कर रहे हैं।

9. आपकी बौद्धिक क्षमता, आत्मविश्वास और ऊर्जा के बल पर देश आज आत्मनिर्भरता की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। अब समय आ गया है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को और सशक्त बनाने तथा और समाज के कमजोर-अभावग्रस्त वर्ग के उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाएं।

10. आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश के नौजवान देश और प्रदेश की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करें और अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वहाँ के लोगों के अभावों, समस्याओं की जानकारी दें।

11. आप सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि कानून निर्माण में भी आपकी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। आप अपने input अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को दें ताकि जनप्रतिनिधिगण विधान मंडलों में तार्किक चर्चा कर सकें।

12. आज I.T. के युग में कारण हम एक दूसरे से अधिक connect हुए हैं और दुनिया के अंदर देशों के बीच दूरियां कम हो गई हैं। I.T. के प्रयोग से हम वैश्विक आपदाओं एवं चुनौतियों का सामूहिकता के साथ सामना करने में और सक्षम हुए हैं।

13. तकनीक के क्षेत्र में हमारे युवा पूरे विश्व में नेतृत्वकर्ता की भूमिका में हैं। तकनीक के कारण ही आज हम एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। आपको भी तकनीक को माध्यम बनाकर सामाजिक-आर्थिक बदलाव की दिशा में कार्य करना है।

14. आप अपने विचार अपने सहयोगियों तथा आपस में भी साझा करें, आपके देशों में जो **best practices** उनको अपने यहां **adopt** करने का प्रयास करें। इनके बारे में समाज में, क्षेत्र में, जनप्रतिनिधियों के बीच जागृति लाएं। इससे ही हमारे जनप्रतिनिधियों की **Capacity building** होगी, शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता आएगी और लोकतान्त्रिक संस्थाएं सशक्त होंगी। जनप्रतिनिधिगण अच्छे **innovation** को सदन के माध्यम से एक दूसरे के साथ अनुभव शेयर कर सकते हैं। इससे भी शासन में जवाबदेही और प्रशासन में पारदर्शिता आएगी।

15. इस बार हमने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लोकतान्त्रिक संस्थाओं में **technology** का प्रयोग को बढ़ाने पर व्यापक चर्चा और सवाद किया है कि किस तरीके से इन लोकतांत्रिक संस्थाओं में IT का उपयोग हो, ताकि हम सब विधानमंडल एक दूसरे से **well connect** रहें। उनके अनुभवों, उनकी परिपाटियों और परम्पराओं को साझा करें।

16. उनके सभी कार्यवाहियों को एक प्लेटफार्म पर ला सकें ताकि देश की जनता और देश के नौजवान एक प्लेटफार्म पर संपूर्ण विधान मंडलों की कार्यवाही को देख सकें।

17. संसद की लाइब्रेरी भी इसका ज्वलंत उदाहरण है जिसमें हमने 1858 से लेकर अब तक के रिकार्ड्स को डिजिटाइज करने का काम किया है। हम आने वाले समय में यह डिजिटल लाइब्रेरी भी और सभी विधान मंडलों की संसदीय कार्यवाही भी एक मेटा डाटा पर देखेंगे ताकि सम्पूर्ण देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यवाहियां, वहां की कमेटी रिपोर्ट्स, कानून बनाने की चर्चा, इत्यादि इसके माध्यम से आप बेहतर रिसर्च का काम कर पाएंगे।

साथियों,

18. भारतीय संस्कृति सदैव से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देती आई है और इसलिए आज भारत सारे विश्व के कल्याण और समृद्धि के लिए सामूहिकता के साथ सबके साथ मिलकर काम कर रहा है और वैश्विक चुनौतियों का समाधान निकाल रहा है।

19. आज का युग नौजवानों का युग है, आपका युग है। आपमें नवाचार और नई टेक्नोलोजी का प्रयोग करने की काबिलियत है और असीम क्षमता है। आप हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के अंदर बदलाव की भूमिका निभा रहे हैं।

20. मुझे विश्वास है कि इस केंद्रीय कक्ष से, जो एक ऐतिहासिक कक्ष है, जहां पर बैठकर हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है, निश्चय ही आप यहां से नई ऊर्जा और प्रेरणा लेकर जाएंगे तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के सशक्तीकरण में और देश की प्रगति को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएंगे।

जय हिन्दा जय भारता।
